द्वारा ईमेल/फैक्स।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पाँच-470(वरि0 पदो0)2023 दिनांक:जून 09, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	942640630	छेदालाल	श्री नत्थू लाल	15-01-1973	गौतमबुद्धनगर	उपयुक्त-2023
2	972010999	नरेन्द्र	श्री सियाराम	15-07-1973	बदायूँ	उपयुक्त-2023
3	920750258	श्री ओम नारायण	श्री दुर्गा प्रसाद	05.06.72	प्रयागराज	उपयुक्त-2023
4	912462372	शीतला प्रसाद मिश्र	महात्मा मिश्र	15.07.1972	अयोध्या	उपयुक्त-2023
5	920760288	उमाशंकर	श्री नत्थूलाल	04-07-1973	मुरादाबाद	उपयुक्त-2023
6	972500456	योगेश कुमार चतुर्वेदी	महेन्द्र चतुर्वेदी	20.11.1978	प्रतापगढ़	उपयुक्त-2023
7	872411775	देवेश कुमार उपाध्याय	सूरजपाल उपाध्याय	08.08.68	झाँसी	उपयुक्त-2023
8	980440520	दीपेन्द्र विक्रम सिंह	रवीन्द्र प्रताप सिंह	07.07.79	सुलतानपुर	उपयुक्त-2023
9	980750054	सतीश चन्द्र	स्व0श्री नरेश चन्द्र	01.01.1980	कानपुर नगर	उपयुक्त-2023
10	972220361	विजय कुमार सरोज	श्री शीतला प्रसाद सरोज	25.09.1977	कमिश्नरेट लखनऊ	उपयुक्त-2023
11	920500749	चन्द्र भानु वर्मा	श्याम बहादुर वर्मा	12.07.1973	कमिश्नरेट लखनऊ	उपयुक्त-2023
12	982150784	सुरेन्द्र कुमार	श्री राजबीर	01-05-1978	मुरादाबाद	उपयुक्त-2023
13	961860037	बादू यादव	श्री दीपराज यादव	15-07-1977	रेलवे प्रयागराज	उपयुक्त-2023
14	960500969	अमला सिह यादव	स्व0 श्री देवनाथ सिंह यादव	15.06.1976	प्रतापगढ़	उपयुक्त-2023
15	930540300	राजवीर सिंह	श्री निहाल सिंह	15-03-1973	गौतमबुद्धनगर	उपयुक्त-2023
16	960740594	राजेश	श्री शारदा प्रसाद	10-12-1975	कुशीनगर	उपयुक्त-2023
17	982250224	श्यामनिवास राय	जगदीश राय	12-07-1978	बलरामपुर	उपयुक्त-2023
18	922530441	बलराज सिंह	श्री सूरत सिंह	10.07.1972	विशेष शाखा, हापुड़	उपयुक्त-2023
19	972510297	अनुराग सिंह	विजेन्द्र सिंह	26-04-1978	उन्नाव	उपयुक्त-2023
20	890900129	छत्रपाल सिंह	श्री करन सिंह	30-01-1969	गौतमबुद्धनगर	उपयुक्त-2023
21	980700987	मनोज कुमार	श्री चन्द्रपाल सिंह	01-09-1978	कमिश्नरेट गाजियाबाद	उपयुक्त-2023
22	960650664	श्री दिनेश कुमार शुक्ला	श्री शेषमणि शुक्ला	15.08.1976	फतेहपुर	उपयुक्त-2023
23	982150540	अनित कुमार यादव	श्री राजबीर सिंह	10.04.1979	सहारनपुर	उपयुक्त-2023
24	982250921	अरबिन्द सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	02.11.1979	अम्बेडकरनगर	उपयुक्त-2023

Scanned with OKEN Scanner

25	972390459	विद्या सागर कुशवाहा	श्री गोर्वधनसिहं	02–12–1977	वि0शा0मुरादाबाद	उपयुक्त–2023
26	960541100	सर्वेश सिंह	वीरेन्द्र सिंह	15.08.1974	आगरा	उपयुक्त–2023
27.	972514664 972461335	श्री रवीन्द्र कुमार	श्री महावीर सिंह	20.06.1978	बिजनौर	उपयुक्त–2023
28	972910071	नीरज कुमार	श्री चन्द्रपाल सिंह	01.01.1978	जीआरपी आगरा	उपयुक्त–2023

2– पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः– प्रारूप (क)

4/08/06

(प्रभाकर चौधरी)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज/लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद/मेरठ एवं गौतमबुद्धनगर।
3- जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, एवं कानपुर।
4- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, प्रयागराज, झाँसी, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा।
5- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बदायूँ, अयोध्या, मुरादाबाद, प्रतापगढ, झाँसी, कुशीनगर, बलरामपुर, उन्नाव, फतेहपुर, सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, कानपुर देहात, चन्दौली, हाथरस, सोनभद्र, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा एंव सुलतानपुर।
6- पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय एवं रेलवे प्रयागराज एवं आगरा।
7- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
8- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूलपर नही।

प्रतिलिपि:-अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ——————————निवासी———————————थाना—————————जनपद—————————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ——————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0———————— धारा——————————थाना —————————— जनपद——————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

Scanned with OKEN Scanner